बरेली पुलिस

थाना- बारादरी

प्रेस नोट दिनांक 22.02.2026

थाना बारादरी #bareillypolice द्वारा अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त को 741 ग्राम अवैध अफीम (जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 16 लाख रूपये) व परिवहन में प्रयुक्त एक मो0सा0 के साथ गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में ।

घटना का संक्षिप्त विवरण/परिचयः-

थाना बारादरी पुलिस द्वारा रात्रि गस्त के दौरान दिनांक 22.02.2026 को 02 शातिर मादक पदार्थ विक्रेता 1. अरविन्द यादव पुत्र अमर सिंह यादव उम्र 20 वर्ष नि0 ग्राम दीवीपुर थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली 2. दिनेश पुत्र धर्मवीर उम्र 22 वर्ष नि0 ग्राम दीवीपुर थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली को भरतौल रोड पर ब्लाक गोदाम के पास से **741 ग्राम अवैध अफीम (कीमत लगभग 16 लाख रूपये)** व परिवहन में प्रयुक्त एक मो0सा0 सहित गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरूद्ध मु0अ0सं0 224/2026 धारा 8/18/29/60 NDPS ACT का अभियोग पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण से विस्तृत पूछताछ कर मा0 न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। अभियुक्त कदीर अहमद पुत्र उस्मान निवासी तिलमस गोटिया पश्चिमी थाना मीरगंज जिला बरेली के सम्बन्ध में जानकारी कर शीघ्र ही गिरफ्तार किया जायेगा ।

घटना के सम्बन्ध में तथ्यों का विवरणः-

थाना बारादरी पुलिस द्वारा रात्रि चैकिंग के दौरान हम पुलिस वाले सतीपुर चौराहे पर गस्त करते हुये पहुँचे तो मुखबिर ने सूचना दी कि 02 व्यक्ति जिनके पास मादक पदार्थ है , कहीं जाने की फिराक में है , जब पुलिस टीम द्वारा भरतौल रोड पर ब्लाक गोदाम के पास खडे 03 व्यक्ति व उसके कब्जे से **741 ग्राम अवैध अफीम (कीमत लगभग 16 लाख रूपये)** व घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 बरामद कर मु0अ0सं0 224/2026 धारा 8/18/29/60 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रिमाण्ड की कार्यवाही की जायेगी।

घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 0224/2026 धारा 8/18/29/60 एनडीपीएस एक्ट थाना बारादरी बरेली।

पूछताछः-

अभियुक्तगण से पूछने पर अभियुक्त अरविन्द यादव ने बताया कि वह कक्षा 08 तक पढा लिखा है तथा बिजली का काम करता है। बिजली का काम करते समय इसकी मुलाकात कदीर अहमद उपरोक्त से हो गयी थी जो ट्रैक्टर चलाने का कार्य करता है। कदीर अहमद द्वारा इन्हें पैसो का लालच दिया तथा इनसे कहा कि तुम मेरे साथ काम करो, तुम्हें अच्छा पैसा दिलाउंगा। पैसों के लालच में आकर यह कदीर अहमद से साथ काम करने लगे तथा उससे अफीम लाकर बेचने लगे । आज भी यह कदीर अहमद से अफीम लाकर बेचने के लिए जा रहे थे कि पकडे गये।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व अपराधिक इतिहासः –

1. अरविन्द यादव पुत्र अमर सिंह यादव उम्र 20 वर्ष नि ग्राम दीवीपुर थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली
   मु0अ0सं0 0224/2026 धारा 8/18/29/60 एनडीपीएस एक्ट थाना बारादरी बरेली ।
2. दिनेश पुत्र धर्मवीर उम्र 22 वर्ष नि0 ग्राम दीवीपुर थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली
   मु0अ0सं0 0217/2026 धारा 8/18/29/60 एनडीपीएस एक्ट थाना बारादरी बरेली ।

<u>वांछित अभियुक्तः-</u>

1. कदीर अहमद पुत्र उस्मान निवासी तिलमस गोटिया पश्चिमी थाना मीरगंज जिला बरेली (फरार)

    मु0अ0सं0 0224/2026 धारा 8/18/29/60 एनडीपीएस एक्ट थाना बारादरी बरेली।

    मु0अ0सं0 0244/2020 धारा 324 भादवि थाना मीरगंज जनपद बरेली।

<u>बरामदगी</u>

741 ग्राम अवैध अफीम (कीमत लगभग 16 लाख रूपये)

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरणः-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक धनंन्जय पाण्डेय थाना बारादरी बरेली।
2. उ0नि0 विनय बहादुर प्रभारी चौकी सैटेलाइट थाना बारादरी बरेली।
3. उ0नि0 चन्द्रपाल सिंह थाना बारादरी बरेली।
4. हे0का0 1287 अर्पित चतुर्वेदी थाना बारादरी बरेली।
5. का0 555 दिपांशु पोसवाल थाना बारादरी बरेली।